



2026:AHC-LKO:41317

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4240 वर्ष 2026

आदर्श कुमार सिंह उर्फ रवि सिंह आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह

लखनऊ

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार सिंह

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

सह 1 अन्य संबद्ध वाद

न्यायालय संख्या-11

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद मौर्य तथा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री शीतला प्रसाद त्रिपाठी, जिन्होंने वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया, को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया ।

2. प्रस्तुत आवेदन आवेदकगण को वाद अपराध संख्या 7 वर्ष 2026, धारा 115(2), 352, 351(3), 333, 105, 191(2), 191(3), 190 बी०एन०एस० के अंतर्गत थाना रानीपुर, जनपद बहराइच में जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

3. उपरोक्त वाद 11.01.2026 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर सूरज सिंह, शुभम सिंह, चंदन सिंह, शिवनारायण सिंह के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है यह कहते हुये कि दिनांक 11.01.2026 को लगभग 10:15 बजे रात्रि में जब सूचनाकर्त्री अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी तब चार नामजद अभियुक्तों ने उसके पिता को मारना-पीटना शुरू कर दिया और उन्होंने उसके सिर पर चोटें पहुंचाई। उन्होंने सूचनाकर्त्री के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की। सूचनाकर्त्री के पिता को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय, बहराइच में भर्ती कराया गया। विवेचक द्वारा दर्ज किए गए सूचनाकर्त्री के कथन में उसने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके द्वारा नामित चार व्यक्तियों के अतिरिक्त उनके कुछ रिश्तेदार भी घटना में शामिल थे लेकिन वह उनके नाम नहीं जानती थी। घटना में उसके पिता को लगी सिर की चोटों के कारण वह बेहोश हो गए थे। उसके पिता को जिला चिकित्सालय, बहराइच ले जाया गया जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल कॉलेज,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लखनऊ के लिए संदर्भित किया गया। सूचनाकर्त्री ने कहा कि वह पूरी बात बताने में सक्षम नहीं थी और यदि बाद में उसे कुछ याद आया तो वह उसे बताएगी। उसने कहा कि जब वह और उसके परिवार के सदस्य भोजन करने के पश्चात कमरे के अंदर बैठे थे तब अभियुक्तगण घर में घुस आए और उन्हें मारना-पीटना शुरू कर दिया। विवेचक ने शिकायतकर्ता से प्रश्न किया कि लिखित शिकायत में उसने उल्लेख किया था कि वह और उसके परिवार के सदस्य घर के बाहर बैठे थे जबकि कथन में उसने बताया कि वे सभी घर के अंदर बैठे थे जिस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने भूलवश यह उल्लेख कर दिया था कि वे घर के बाहर बैठे थे जबकि तथ्य यह है कि वे घर के अंदर बरामदे में बैठे थे।

4. शिकायतकर्ता के पिता त्रिलोकी की चोट आख्या में सिर के ललाट क्षेत्र पर एक छिली हुई चोट, सिर के दाहिनी ओर ललाट क्षेत्र पर एक छिली हुई चोट और सिर के पश्चकपाल क्षेत्र पर एक छिली हुई चोट का उल्लेख है और उनकी सामान्य दशा बहुत खराब थी। सूचनाकर्त्री के पिता ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और उनकी शव-परीक्षा आख्या में सिर के दाहिने तरफ एक सिली हुई चोट, सिर के ऊपरी भाग पर एक सिली हुई चोट, सिर के दाहिने तरफ एक सिली हुई चोट, सिर के बाएं तरफ एक सिली हुई चोट, बाएं कान के ठीक ऊपर सिर के बाएं तरफ एक नीलगू चोट और पेट के दाहिने तरफ एक सिली हुई चोट का उल्लेख है, बाईं टेम्पोरल और पैराइटल अस्थियां फ्रैक्चर थीं और पूरे मस्तिष्क पर सबड्यूरल हेमेटोमा उपस्थित था और मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व सिर की चोट के परिणामस्वरूप कोमा होना अभिमत किया गया था। तत्पश्चात मृतक के भाई छेत्रम ने पुलिस को एक लिखित शिकायत दी यह कहते हुये

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि धर्म प्रताप सिंह के पुत्र रवि सिंह उर्फ आशीष सिंह ने अपने साथियों वीरेंद्र विक्रम सिंह के पुत्र चंदन सिंह, वीरेंद्र विक्रम सिंह के पुत्र सूरज सिंह, जयांकर सिंह के पुत्र शिवांश सिंह, दलजीत सिंह के पुत्र शुभम सिंह और जय नारायण सिंह के पुत्र गोपाल सिंह, वीरेश प्रताप सिंह के पुत्र अक्षय प्रताप सिंह तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ उसके घर पर हमला किया और उन्होंने घटना कारित की जिसके कारण उसके भाई की दिनांक 13.01.2025 की रात्रि में मृत्यु हो गई। शिकायत में लिखा गया था कि थानाध्यक्ष ने किसी व्यक्ति से शिकायत लिखवाई थी और उस पर उसकी नाबालिग भतीजी के हस्ताक्षर प्राप्त किए थे। विवेचक द्वारा दर्ज किए गए छेत्रम के कथन में उसने कहा कि जसवंत सिंह का पुत्र रवि सिंह (आवेदक, आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 4240/2026 में) और उसका चचेरा भाई धर्म प्रताप सिंह का पुत्र आशीष सिंह घटना में शामिल थे और उसने अपनी शिकायत में भूलवश रवि सिंह उर्फ आशीष सिंह को धर्म प्रताप सिंह का पुत्र उल्लेखित कर दिया था। मृतक के पुत्र सुधीर कुमार यादव ने कहा कि वीरेंद्र विक्रम सिंह का पुत्र सूरज सिंह, वीरेंद्र विक्रम सिंह का पुत्र चंदन सिंह, जयांकर सिंह का पुत्र शिवांश सिंह, दलजीत सिंह का पुत्र शुभम सिंह, धर्म प्रताप सिंह का पुत्र आशीष सिंह और जय नारायण सिंह का पुत्र गोपाल सिंह, जसवंत सिंह का पुत्र रवि सिंह घटना में शामिल थे और जब उसने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया तब अभियुक्तगण ने उसे भी मारा-पीटा। उसने आगे कहा कि वह अपनी बहन प्रीतम के साथ थाने गया था। उसकी बहन ने शिकायत दी थी जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. विवेचना के पश्चात, सात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 10.04.2026 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और अक्षय प्रताप सिंह की संलिप्तता विवेचना के दौरान स्थापित नहीं हो सकी और उसे दोषमुक्त कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.04.2026 को अपराध का संज्ञान लिया है।

6. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में कहा गया कि आवेदक निर्दोष है, उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट या विवेचक द्वारा दर्ज किए गए सूचनाकर्त्री के कथन में नहीं है। यहां तक कि मृतक के भाई द्वारा दिए गए लिखित कथन में भी आवेदक का नाम नहीं है और उसे विवेचक द्वारा दर्ज किए गए मृतक के भाई के कथन के माध्यम से फंसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मृतक के घायल पुत्र ने कहा है कि वह अपनी बहन (शिकायतकर्ता) के साथ थाने गया था और फिर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक के भाई के कथन के माध्यम से आवेदक को बाद में सोच-विचार कर झूठा फंसाया गया है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया और उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध आरोप विवेचना के दौरान स्थापित हो गया है और इसलिए उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि थानाध्यक्ष ने शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर एक कोरे कागज पर प्राप्त किए थे जिसकी अंतर्वस्तु को शिकायतकर्ता द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के नाम का उल्लेख न किया जाना कोई परिणामकारक नहीं है।

10. शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता के इस कथन का कि थानाध्यक्ष ने शिकायतकर्ता से एक कोरे पृष्ठ पर हस्ताक्षर कराए थे विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा खंडन किया गया जिन्होंने लिखित शिकायत की एक प्रति प्रस्तुत की जो देवनागरी लिपि में है और जिस पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर हैं।

11. इस कथन का भी मृतक के घायल पुत्र के कथन से खंडन होता है जिसने कहा था कि वह अपनी बहन के साथ थाने गया था, उसकी बहन ने एक आवेदन दिया था जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अतः मुझे शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त कथन में कोई बल नहीं मिलता है।

12. जहां तक गोपाल सिंह (आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 4367/2026 में आवेदक) का संबंध है वह भी प्रथम सूचना रिपोर्ट और विवेचक द्वारा दर्ज किए गए शिकायतकर्ता के कथन में नामित नहीं था। उसे बाद में मृतक के भाई द्वारा दी गई लिखित शिकायत में फंसाया गया है। दो अन्य आपराधिक मामलों में आवेदक गोपाल सिंह की संलिप्तता का खुलासा अनुपूरक शपथपत्र के प्रस्तर 2 में किया गया है अर्थात् वाद अपराध संख्या 228/2021, धारा 323, 504 एवं 506 भादंसा के अंतर्गत थाना रानीपुर, जनपद बहराइच जिसमें उसे जमानत प्रदान की गई है और मुकदमा अपराध

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संख्या 284/2025, धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस के अंतर्गत थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच जिसमें विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और उसे गिरफ्तार किए बिना आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है और आवेदक को विचारण न्यायालय से कोई समन या वारंट प्राप्त नहीं हुआ है।

13. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 09.04.2026 से जेल में निरुद्ध है और विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है, और ऐसी कोई टिप्पणी किए बिना जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित कर सकती है, मेरा मत है कि उपरोक्त तथ्य आवेदकगण को उपरोक्त वाद अपराध में जमानत पर रिहा किए जाने का मामला बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

14. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक-आदर्श कुमार सिंह उर्फ रवि सिंह और गोपाल सिंह को उपरोक्त वाद अपराध में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के दो जमानतदार और एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदकगण अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे;

(ii) आवेदकगण अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेंगे;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदकगण विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होंगे जब तक कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनकी उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

17 जून 2026

प्रदीप/-

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।